न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09/2024 अपील (GCMS 2024/13)
पंजीयन दिनांक– 14/02/2024
निर्णय दिनांक– 12/08/2024

1. श्री राजेन्द्र पिता एकलिंग कीर, निवासी मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

1. प्रबंध निदेशक, भीलवाडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाडा।
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाडा।
3. अध्यक्ष, अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा।
4. व्यवस्थापक, अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहीलदार, हमीरगढ़, जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री श्यामलाल गुर्जर	अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बृजेन्द्र सेठ	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ 12–3 (2) ( )/आरए/2021/1668 दिनांक 18.04.203 एवं 28.04.2023

<u>निर्णय</u>

दिनांक 12/08/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ 12–3 (2)( )/आरए/2021/1668 दिनांक

18.04.2023 एवं 28.04.2023 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 12–3 (2)( )/आरए/2021/1668 दिनांक 28.04.2023 से उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ के प्रस्ताव/प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 4730/2372 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर (1138 वर्ग मीटर) किस्म बिलानाम बंजड भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डारों के निर्माणार्थ भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) निमय 1965 के नियम 4 के अंतर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 के अनुसरण में अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा को गोदाम निर्माण हेतु आवंटित किये जाने असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल गुर्जर उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सेठ उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 31.07.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अध्यक्ष, अपनी बचत घर योजना महिला

सहकारी समिति द्वारा ग्राम मंगरोप द्वारा ग्राम मंगरोप के आराजी संख्या 541 रकबा 3.01 बीघा भूमि बीज गोदाम निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश से ग्राम मंगरोप के आराजी संख्या 4730/2372 रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर अर्थात 1138 वर्गमीटर भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिये आवंटन किया गया। आवंटी द्वारा चाहे गये आराजी संख्या 541 में भूमि का आवंटन न कर अन्य आराजी संख्या 4730/2372 में 1138 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जो विधि विरूद्ध है। तथाकथित आवंटित आराजी भू–भाग ग्राम गुरला से मांडलगढ़ जो कि मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड़ है। प्रथम तो राजकीय बिलानाम भूमि आवंटन करने से पहले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत प्रश्नगत आराजी भू–भाग को सेटअपार्ट किया जाना नियमों में व्यवस्था की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इण्डियन रोड़ कांग्रेस कमेटी के अनुसार रोड़ के मध्य बिन्दु से 40 मीटर भूमि रोड़ सीमा के लिये छोड़ते हुए शेष भूमि का आवंटन किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रोड़ सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। आवंटनशुदा आराजी भू–भाग के पूर्व दिशा में मुस्लिम/फकीर समाज का कब्रिस्तान से सटे हुए अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड मंगरोप को आवंटन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा आवंटन आदेश पर अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर, भीलवाडा) ने दिनांक 18.04.2023 को अपने हस्ताक्षर किये जबकि आवंटन आदेश को प्रेषित करने के लिये दिनांक 28.04.2023 का अंकन किया गया, जिससे तथाकथित आवंटन आदेश भी वास्तव में किस तिथि का है अर्थात आवंटन आदेश में दोनों तारीखों का उल्लेख किया गया है, जो संशय उत्पन्न करते है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, लेकिन आलौच्य निर्णय की जानकारी माह दिसम्बर, 2023 को हुई तथा जानकारी होते ही अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है, अपील प्रस्तुत करने की

अनुमति प्रदान कराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 12–3 (2)( )/आरए/2021/1668 दिनांक 28.04.2023 से उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ के प्रस्ताव/प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 4730/2372 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर (1138 वर्ग मीटर) किस्म बिलानाम बंजड भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डारों के निर्माणार्थ भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) निमय 1965 के नियम 4 के अंतर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 के अनुसरण में अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा को गोदाम निर्माण हेतु किया गया आवंटन उचित एवं नियमानुसार है, जिस पर अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विदित रहे कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के अनुसार अपना निर्णय पारित किया है। विधित् धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत केवल व्यक्तिगत क्षति के आधार पर ही तृतीय पक्षकार द्वारा किसी आदेश की अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 28.04.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अब हम अपीलांट द्वारा दिये गये 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा धारा 96

जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.04.2023 एवं 28.04.2023 से अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप को ग्राम मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 4730/2372 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि बीज गोदाम निर्माण हेतु आवंटन किया गया। तथाकथित आवंटन आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं थे, जिससे विवादित आदेश की अपील प्रस्तुत करने के लिये अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्रदत्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

- हमारे द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन व अपील मेमों के तथ्यों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 12–3 (2) ( )/आरए/2021/1668 दिनांक 28.04.2023 से उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ के प्रस्ताव/प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 4730/2372 कुल रकबा 0.1770 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर (1138 वर्ग मीटर) किस्म बिलानाम बंजड भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (बीज भण्डारों के निर्माणार्थ भूमि आवंटन एवं परिवर्तन) निमय 1965 के नियम 4 के अंतर्गत एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.06.2012 के अनुसरण में अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा को गोदाम निर्माण हेतु आवंटित किया है। प्रकरण में अपीलांट का यह कथन है कि तथाकथित आवंटन आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं था, जिससे विवादित आदेश की अपील प्रस्तुत करने के लिये अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्रदत्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ द्वारा तहसीलदार, हमीरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपने पत्रांक राजस्व/आवंटन/2022/1175 दिनांक 14.11.2022 से जिला

कलक्टर, भीलवाडा को अपनी बचत योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड मंगरोप को भूमि आवंटन बाबत प्रेषित मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 4730/2372 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है, प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की विद्युत लाईन नही गुरज रही है, प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधी नही है तथा न ही कोई स्थगन प्राप्त है, प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में हुए निर्णय से प्रभावित नहीं है नोन कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है एवं पेराफेरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, प्रस्तावित भूम मंगरोप आम सड़क मार्ग पर स्थित होकर मौके पर आवागमन का रास्ता उपलब्ध है, प्रस्तावित भूमि का रास्ता व आस–पास की भूमि को नक्शे में दर्शाया गया है तथा ग्राम मंगरोप, पटवार हल्का मंगरोप प्रथम में स्थित भूमि आराजी नम्बर 4730/2372 रकबा 0.1770 हैक्टेयर किस्म बंजड (बिलानाम काबिल काश्त) में से 0.1138 हैक्टेयर भूमि अपनी बचत घर योजना महिला समिति लिमिटेड को आवंटन करने पर कोई सार्वजनिक आपत्ति नही है। उक्तानुसार ग्राम मंगरोप में अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लिमिटेड, मंगरोप को भूमि आवंटित किया जाना उचित है। अतः उक्त उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ की रिपोर्ट एवं रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.04.2023 से पारित निर्णय ग्राम मंगरोप की आराजी संख्या 4730/2372 कुल रकबा 0.1771 में से रकबा 0.1138 हैक्टेयर (1138 वर्गमीटर) भूमि का अपनी बचत घर योजना महिला समिति लिमिटेड, मंगरोप, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाडा को गोदाम निर्माण हेतु किये आवंटन में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है।

- अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया की वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है तथा उससे संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नही किये है, जिससे अपीलांट को

आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार माना जावे। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते है एवं तद्नुसार अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज हो जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर